18 से पहले होती हैं अधिकांश शादियां

पटना, नगर संवाददाता : बाल विवाह बच्चों के साथ किया जाने वाला बहुत बड़ा अन्याय है। कम उम्र में शादी हो जाने पर उन्हें आगे चलकर ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनकी पूरी जिंदगी बरबाद हो जाती है। कई कानून बनाये गये हैं लेकिन स्थिति यह है कि बाल विवाह पर नियंत्रण लग ही नहीं पा रहा। बिहार में 18 साल से पहले 67 प्रतिशत लड़कियों की शादी हो जाती है। कई लोगों को अब तक बाल विवाह को लेकर बनाये गये कानूनों की जानकारी तक नहीं। हम सभी को मिलकर इस कुरीति पर नियंत्रण पर पाना ही होगा। ये बातें बुधवार को समाज कल्याण मंत्री दामोदर रावत ने कहीं। वे होटल चाणक्य में महिला विकास निगम और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह प्रतिषेध पर दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का शुभारम्भ कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार की ओर से कन्या विवाह योजना चलायी जा रही है। योजना के तहत सही उम्र में लड़कियों का ब्याह करने पर आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। वहीं महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक डा. एन. विजयालक्ष्मी ने बाल विवाह को बच्चों के अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जरूरी है लोगों की सोच में बदलाव लाये जाने की। लोग बेटे की शादी के लिए कम से कम उम्र की लड़की की खोज बंद करें। देश में 47 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 से पहले कर दी जाती है और बिहार का आंकड़ा यानी 67 प्रतिशत देश भर में सर्वाधिक है। बाल विवाह कानूनन अपराध है और यह जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाने में पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधि खासी भूमिका निभा सकते हैं। विजयालक्ष्मी ने संबंधित कानून की भी जानकारी दी। यूनिसेफ के बिहार राज्य कार्यालय के प्रमुख डा. यामीन मजूमदार के मुताबिक यह सटीक बता पाना मुश्किल है कि कितनी बालिकाओं की शादी कर दी जाती है। इनका पंजीयन तो होता ही नहीं। वहीं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 असरदार लगता है। धन्यवाद ज्ञापन निगम की परियोजना निदेशक ईरीना सिन्हा ने किया। अलग-अलग सत्रों की अध्यक्षता बिहार सी.आई. के अपर महानिदेशक राजवर्द्धन शर्मा, आईसीआरडब्ल्यू की सुष्मिता मुखर्जी, प्रो. विनय कुमार कंठ ने की। यूनिसेफ की के. बीना, महिला विकास निगम के राज्य परियोजना प्रबंधक रूपेश कुमार सिन्हा, समाज कल्याण निदेशालय की सहायक निदेशक अनीता, निदेशक डी.के. दिवाकर, कोशिश से रूपेश, महिला सामख्या की सांत्वना, नितिन, आर.के. पांडेय, एस. राव, विनय ओहदार के अलावा योजना और विकास विभाग के विशेष सचिव, पंजीयन विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव, पंचायती राज व महिला सामख्या की प्रतिनिधि ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

महिला विकास निगम और यूनिसेफ के बैनर तले बाल विवाह प्रतिषेध पर दो दिवसीय कार्यशाला

DAINIK JAGRAN :